न्यायालय सहायक कलक्टर (मु.) सीकर

उनवान – राजेन्द्र प्रसाद बनाम छोटूराम आदि

किस्म मुकदमा –प्रार्थना–पत्र 212 मुकदमा नं 23 वर्ष 2019

दिनांक	आज्ञा पत्र	
19.05.22	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। वकील प्रार्थी की बहस एकतरफा सुनी गई। प्रकरण का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि ग्राम लढाणा भू0अ0नि0 क्षेत्र पलसाना तहसील दांतारामगढ़,सीकर की भूमि ख0नं0 279 रकबा 0.0100 है0 ख0नं0 280 रकबा 1.9000 है0 ख0नं0 281 रकबा 0.0500 है0 ख0नं0 284 रकबा 0.0700 है0 ख0नं0 285 रकबा 0.0700 है0 कुल किता 5 कुल रकबा 2.1000 है0 वाके ग्राम कुवालसर प0ह0 लढाणा भू0अ0नि0 पलसाना तहसील दांतारामगढ़ सीकर की भूमि ख0नं0 42 रकबा 3.2600 है0 ख0नं0 45 रकबा 1.8400 है0 ख0नं0 48 रकबा 6.6000 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 11.7000 है0 एंव इसी गांव की भूमि ख0नं0 41 रकबा 0.0200 है0 ख0नं0 43 रकबा 0.0500 है0 ख0नं0 44 रकबा 0.0100 है0 ख0नं0 46 रकबा 0.0400 है0 ख0नं0 47 रकबा 0.0500 है0 कुल किता 5 कुल रकबा 0.1600 है0 अवस्थित है। उक्त भूमियां प्रार्थी एंव अप्रार्थी/प्रति0सं0 1 तथा वाद में प्रति0सं0 2 ता 17 के पूर्वज झूंथाराम गुर्जर की पैतृिक कृषि आराजियात है। प्रार्थी एंव अप्रार्थी/प्रति0सं0 1 तथा वाद में प्रति0सं0 2 ता 17 के पूर्व झूंथाराम की मृत्यु के बाद प्रार्थी एंव अप्रार्थी प्रति0सं0 1 तथा वाद में प्रति0सं0 2 ता 17 की उक्त कृषि आराजियात जरिये विरासतन एंव उत्तराधिकार मे प्राप्त हुई है। उक्त कृषि भूमियों पर प्रार्थी/प्रति0सं0 1 तथा वाद में प्रति0सं0 2 ता 17 ने सिंचाई के साधन कायम कर मौके पर अपने–अपने आवास निवास हेतु मकानात आदि का भी निर्माण कर रखा है।प्रार्थी एंव अप्रार्थी/प्रति0सं0 1 तथा वाद में प्रति0सं0 2 ता 17 का सजरा खानदान पैरा सं0 3 अनुसार है। पैरा सं0 2 में वर्णित कृषि आराजी पैतृिक कृषि भूमि है, जिसमें प्रार्थी का जन्म के साथ ही हक, हिस्सा है जो प्रार्थी के पूर्वज दादा झूंथाराम की मृत्यु के बाद जरिये विरासतन उसके वैध वारिसान को प्राप्त हुई है। प्रार्थी के पिता छोटूराम का स्व0 झूंथाराम के हक, हिस्से की कृषि आराजी में 1/6 हक हिस्सा निहित है, जो राजस्व रिकार्ड में भी दर्ज हो चुका है। प्रार्थी का छोटूराम के हक, हिस्से की भूमि में 1/9 हक हिस्सा है अर्थात संपूर्ण भूमियों में प्रार्थी का 1/54 हक हिस्सा है। प्रार्थी के पिता वृद्धावस्था के कारण पूर्णया असमर्थ हो चुका है तथा वाद में प्रति0सं0 2 व 3 के प्रभाव में है तथा वे काफी चतुर व चालाक किस्म के व्यक्ति है, जो अप्रार्थी सं0 1 को कर्ता खानदान के आधार	

कलक्टर(मु.)सीकर

पर जरिये विरासतन दर्ज 1/6 हक हिस्से की भूमि को बाला–बाला अपने नाम करवाना चाहते है। प्रार्थी को इस बात की जानकारी होने पर प्रति0सं0 1 तिा 4 को बुलाकर समझाया कि भूमि आराजी पैतृक कृषि आराजी है,जिसकी खातेदारी राजस्व रिकार्ड में अकेले अप्रार्थी सं0 1 के नाम दर्ज है,जिसमें प्रार्थी एंव प्रति0सं0 1 ता 8 का जन्म के साथ ही समान हक हिस्सा है। ऐसी स्थिति में प्रति0सं0 1 ता 8 के नाम उक्त अप्रार्थी सं0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड को करने में कोई बुराई नहीं है। वर्तमान में राजस्व रिकार्ड में दर्ज खातेदारान को राज्य सरकार व केन्द्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को बेहतरीन लाभ मिल रहा है। ऐसी स्थिति में उक्त भूमियों में प्रार्थी को अप्रार्थी सं0 1 के नाम दर्ज 1/6 हक हिस्से की भूमि में से 1/9 हक हिस्से का काबिज, खातेदार काश्तकार उद्घोषित किया जाना उचित एंव न्याय संगत है। प्रार्थी द्वारा आवेदन पत्र पेश कर इसे स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी सं0 1 को मय उनके परिवारजन,नौकरजन, एजेंट, प्रतिनिधिगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित किया जाकर वादग्रस्त भूमि ग्राम लढाणा भू0अ0नि0 क्षेत्र पलसाना तहसील दांतारामगढ़,सीकर की भूमि ख0नं0 279 रकबा 0.0100 है0 ख0नं0 280 रकबा 1.9000 है0 ख0नं0 281 रकबा 0.0500 है0 ख0नं0 284 रकबा 0.0700 है0 ख0नं0 285 रकबा 0.0700 है0 कुल किता 5 कुल रकबा 2.1000 है0 वाके ग्राम कुवालसर प0ह0 लढाणा भू0अ0नि0 पलसाना तहसील दांतारामगढ़ सीकर की भूमि ख0नं0 42 रकबा 3.2600 है0 ख0नं0 45 रकबा 1.8400 है0 ख0नं0 48 रकबा 6.6000 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 11.7000 है0 एंव इसी गांव की भूमि ख0नं0 41 रकबा 0.0200 है0 ख0नं0 43 रकबा 0.0500 है0 ख0नं0 44 रकबा 0.0100 है0 ख0नं0 46 रकबा 0.0400 है0 ख0नं0 47 रकबा 0.0500 है0 कुल किता 5 कुल रकबा 0.1600 है0 को किसी भी रूप में हस्तांतरित,प्रभारित करने, प्रार्थी की उपरोक्त भूमि पर से बलात बेदखल करने, उनके उपयोग, उपभोग एंव कब्जे, काश्त में दखलदांजी करने वादग्रस्त भूमि को खुर्द–बुर्द एंव एलाईनेट करने से बाज रहने तथा अप्रार्थी सं0 3 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित किया जावे कि वह वादग्रस्त भूमि का हस्तांतमरण प्रलेख एंव रहन प्रलेख तस्दीक नहीं करे एंव प्रति0सं0 2 व 3 को प्रतिबंधित किया जावे कि वह वादग्रस्त भूमि के राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाए रखे।

सहायक कलक्टर(मु.)सीकर

न्यायालय हाजा में प्रकरण दर्ज कर अप्रार्थीगण को उपस्थित होने हेतु जरिये नोटिस तलब किया गया। परन्तु बावजूद नोटिस सूचना उपस्थित नहीं आये। अतः इनके विरूद्ध कार्यवाही एकतरफा अमल में लाई गई। मूल वाद उद्घोषणा,स्थाई निषेधाज्ञा एंव दुरूस्ती रिकार्ड अंतर्गत धारा 88,188 राज0काश्त0अधिनियम 1955 तथा धारा 136 भू0राजस्व अधिनियम पेश किया गया है,

जिसका निस्तारण प्रकरण जवाब दावा पेश होने पर तनकी बनाकर साक्ष्य/सबूत के आधार पर अंतिम रूप से निस्तारण किया जाना है। अप्रार्थीगण बावजूद सूचना उपस्थित नहीं आये। चूंकि विवादित भूमियां प्रार्थी एंव अप्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी की भूमियां है इसलिए वाद के अंतिम निस्तारण तक अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करना उचित समझते है। अतः वाद के अंतिम निस्तारण तक अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करना हम उचित समझते है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 212 राज0काश्त0अधिनियम स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि मूल वाद के निस्तारण तक अप्रार्थीगण को मय उनके परिवारजन, नौकरजन, एजेंट, प्रतिनिधिगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित किया जाकर वादग्रस्त भूमि ग्राम लढाणा भू0अ0नि0 क्षेत्र पलसाना तहसील दांतारामगढ़,सीकर की भूमि ख0नं0 279 रकबा 0.0100 है0 ख0नं0 280 रकबा 1.9000 है0 ख0नं0 281 रकबा 0.0500 है0 ख0नं0 284 रकबा 0.0700 है0 ख0नं0 285 रकबा 0.0700 है0 कुल किता 5 कुल रकबा 2.1000 है0 वाके ग्राम कुवालसर प0ह0 लढाणा भू0अ0नि0 पलसाना तहसील दांतारामगढ़ सीकर की भूमि ख0नं0 42 रकबा 3.2600 है0 ख0नं0 45 रकबा 1.8400 है0 ख0नं0 48 रकबा 6.6000 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 11.7000 है0 एंव इसी गांव की भूमि ख0नं0 41 रकबा 0.0200 है0 ख0नं0 43 रकबा 0.0500 है0 ख0नं0 44 रकबा 0.0100 है0 ख0नं0 46 रकबा 0.0400 है0 ख0नं0 47 रकबा 0.0500 है0 कुल किता 5 कुल रकबा 0.1600 है0 की संपूर्ण कृषि भूमियों में प्रार्थी के पिता छोटुराम के 1/6 हिस्से पर मूल वाद के निस्तारण तक वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे। पत्रावली फैशल शुमार होकर बाद कार्यवाही मूल वाद के संलग्न हो।

सहायक कलक्टर (मु0)
सीकर

निर्णय आज दिनांक 19.05.22 को सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर (मु0)
सीकर